IJAER/January-February 2018/Volume-7/Issue-4 ISSN: 2278-9677
International Journal of Arts & Education Research

# नवीन पंचायती राज में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति

**बृजमोहन सिंह**

शोध विद्यार्थी, सनराइज विश्वविद्यालय अलवर राजस्थान

## सारांश

वैदिक काल को महिलाओं की स्थिति के दृष्टिकोण से स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इस काल में महिलाओं को वेदों का अध्ययन करने, शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञ इत्यादि धार्मिक कार्य, युद्ध एवं राजनीति में भी भाग लेने का पूरा अधिकार प्राप्त था। अतः कहा जा सकता है कि वैदिक काल में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, पारिवारिक, व धार्मिक स्थिति उच्च थी। उत्तर वैदिक काल में प्रधानता का केंद्र नारी जगत् से हटकर पुरुष जगत् की और बढ़ने लगा। अतएव अब नारी को अनादर की दृष्टि से देखा जाने लगा था। काम प्रवृत्ति के साथ ही नारी की भी निंदा की जाने लगी। मध्यकाल में स्त्रियों की स्थिति में जितना ह्रास हुआ उसे हमारा इतिहास एक कलंक के रूप में कभी नही भूलेगा। इस काल में अनेकों बुराइया जैसे–बाल विवाह, सती प्रथा आदि ने भी जन्म ले लिया था। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं व्यक्तिगत सभी क्षेत्रों में स्त्रियों पर प्रतिबन्ध लगाए गए। उन्हे ऐसी सम्पत्ति कहा गया जो किसी को भी दी जा सकती थी या गिरवी रखी जा सकती थी। ब्रिटिश काल में स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन आया। मानवतावादी भावनाओं से प्रेरित होकर समाज सुधारकों ने उनकी दशा सुधारने के लिए आंदोलन किए। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर पूरी ताकत से प्रहार किया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सरकार क सहयोग से 1829 में कानून बना विधवाओं को जिंदा जलाना बंद करवाने का प्रयास किया। स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की आजादी और उद्धार पर भी महत्त्वपूर्ण असर पड़ा हैं। औरतो की समानता के लिए संघर्ष का ठोस परिणाम नये भारतीय संविधान में स्पष्ट रुप से परिलक्षित हुआ। नए संविधान ने महिलाओं और पुरूषों को बराबरी की गारंटी दी। साथ ही साहित्य पनरावलोकन के महत्व को समझते हुए शोध समस्या से संबंधित साहित्य का भी पुनरावलोकन किया गया है एवं शोध प्रविधि एवं पद्धतिशास्त्र के अंतर्गत सर्वप्रथम शोध प्रबंध के उद्देश्यों को स्पष्ट करके अध्ययन की रूपरेखा को भली–भांति निधार्रित किया गया है, जिससे अध्ययन को आवष्यकता को समझा जा सकता है।

**मुख्य शब्द:** *नवीन पंचायती, महिलाओं*

## प्रस्तावना

प्रस्तुत अध्याय में उत्तराखण्ड राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में महिलाओं की सहभागिता से उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति के बदलते स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है। इस अध्याय में 73वें संविधान संषेधन और उत्तराखण्ड सरकार की कार्यविधि से पंचायती व्यवस्था का जो नया स्वरूप विकसित हुआ है, उस पर प्रकाश डाला गया हैं। नवगठित राज्य उत्तराखण्ड में त्रिस्तरीय पंचायती राज

व्यवस्था को अंगीकार कर लिया गया है। नवीन संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन की इकाई मानते हुए पंचायता को ग्रामीण विकास का आधार माना गया है तथा इनके गठन का उत्तरदायित्व राज्यों को दिया गया है। "प्रत्येक राज्य में पंचायतों का संगठन पृथक–पृथक है। जम्मू कश्मीर, केरल, मणिपुर, त्रिपुरा तथा सिक्किम में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था विद्यमान हैं जो ग्राम स्तर पर संगठित की जाती है। उड़ीसा, दादर, नगर हवेली, दिल्ली, पांडिचेरी, असम, कर्नाटक, हरियाणा, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत तथा क्षेत्र या तालुका स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है।"

प्रस्तुत अध्याय में ग्राम पंचायतों के संगठन कार्यविधि एवं नवीन पंचायत राज व्यवस्था महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाने में कहाँ तक सक्षम है, तथा नवनियुक्त पदाधिकारी अपने दायित्वों को निभाने, जन समर्थन जुटाने में कितनी सक्षम हैं, का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। "अपने वर्तमान स्वरूप में नवीन पंचायत राज व्यवस्था एक सर्वथा नूतन प्रयोग है। ये न केवल स्थानीय प्रशासन का भार ही ग्राम पंचायतों पर डालता है। वरन् स्थानीय विकास प्राथमिकताओं का निर्धारण व कार्यान्वयन भी उन्हें सौंपता है, साथ ही यह नवीन यंत्र ग्राम्य जीवन में सर्वसम्मति व पारस्परिक सहयोग को प्रोत्साहित करने का दायित्व भी पंचायत पदाधिकारियों पर डालता है। इस प्रकार पंचायत आधारभूत भौतिक आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए उत्तरदायी संगठन बन गई है। अतीत में इसके कार्य इतने व्यापक न थे एवं इसका नियंत्रण भी गाम के अधिक समृद्ध एवं सशक्त वर्ग के हाथों में ही था, वर्तमान परिवर्तित परिस्थितियों में एक नई पीढ़ी को पंचायत का नेतृत्व सौंप दिया है।'

इसका परिणाम यह हुआ है आज नेतृत्व अनुभवी एवं योग्य युवा वर्ग के हाथों में आ गया है एवं महिलाओं व पिछड़े वर्गो के सदस्यों को भी राजनीति में आने का मौका मिला है। महिलाओं ने पंचायती राज के अधिकारों को अपनाकर अपने जीवन को नया आयाम दिया है। उनसे प्रेरणा लेकर अन्य ग्रामीण महिलायें भी जागरूक होकर राजनीति में आगे आई हैं। प्रो0 नागे"वर प्रसाद के शब्दों में दृ "वर्तमान समय में प्रजातन्त्र को सबसे अच्छी शासन प्रणाली के रुप में प्रतिष्ठा प्राप्त है, एक अवधारणा के रूप में प्रजातन्त्र का सम्बन्ध केवल एक शासन के प्रकार के रूप में नही है या केवल राजनैतिक मूल्य के रूप में ही इसे नहीं समझा जाना चाहिए वरन् इसके आर्थिक, सामाजिक, नैतिक आयाम भी है।"

उत्तराखण्ड राज्य के 13 जनपदों की पंचायतो में संविधान की आरक्षण व्यवस्थाओं के अनुसार महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों के लिए भी जनसंख्या के अनुपात में ग्राम प्रधान के पद आरक्षित किए गए हैं। इस नवीन पंचायत व्यवस्था के अधीन पंचायतों को स्थानीय स्तर आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है, जिसके लिए उन्हें केन्द्र व राज्य की वित्तीय सहायता उपलब्ध है। "वर्ष 2010–2011 के बजट में उत्तराखण्ड राज्य के पंचायती राज के लिए 82.43 करोड़ रुपये एवं ग्राम विकास के लिए 517 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। नवीन पंचायती राज में महिलाओं को भले ही 50 प्रतिशत आरक्षण मिल गया हो परंतु पूरी व्यवस्था का संचालन पुरुषों के हाथ में होने से वह अभी नियोजन का अंग नहीं बन पा रही हैं। आज भी उनकी स्थिति जस की तस है। यदि वे नियोजन का अंग बनें तो जल, जंगल, जमीन इन तीनों का

प्रबंधन स्वयं करेंगी जिससे उनकी सच में तस्वीर बदल पायेगी। प्रस्तुत अध्याय में उनकी राजनीति में आने के बाद की बदली हुई तस्वीर का ही अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

———73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों के तीनों स्तरों पर लगभग 34 लाख प्रतिनिधि सदस्य व अध्यक्ष के रूप में चुनकर आये जिनमें एक तिहाई, अर्थात् लगभग 11 लाख महिलाएं हैं। क्योकि पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों का भी आरक्षण है, इन वर्गों के प्रतिनिधियों की संख्या भी छरू लाख के आसपास है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए भी आरक्षण होने के कारण इन वर्गों की महिलाओं की संख्या लगभग 2 लाख है। इन वर्गों को विकेद्रीकृत शासन प्रणाली में कार्य का अनुभव कम या नहीं के बराबर है और ये वर्ग आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। पूरे वर्ष ये लोग अपनी आजीविका के साधनों को जुटाने में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं, अशिक्षित और जमीन–जायदाद का अभाव होने के कारण इनकी आर्थिक तंगी पेट भरने की आवश्यकता के अतिरिक्त कुछ और सोचने ही नहीं देती। इसके अलावा समाज में ऊंच–नीच का बोलबाला है, जिसके चलते कमजोर वर्ग के लोग ऊंची जातियों के लोगों के साथ बैठ तक नहीं पाते जिसकी वजह से समाज के उच्च वर्ग के लोग उनके दिए गए निर्णयों को भी स्वीकार करने में हिचकिचाते हैं। महिलाओं के सामने जाति व्यवस्था के अलावा भी कुछ ऐसी चुनौतियां है जो उन्हें उनके उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ने में अवरोध पैदा करती हैं। जैसा कि "हिन्दू शास्त्रों में भी लिखा है कि धर्मानुसार स्त्री को बाल्यकाल में पिता के संरक्षण में युवावस्था में पति के संरक्षण में और पति के उपरांत पुत्रों के अधीन रहना है। नारी को जन्म लेते ही सिखा दिया जाता है कि तुम्हारा अपना कुछ भी नही है, तुम्हारा आदर्श अपने आप को पति को समर्पित करना है। इसी के परिणामस्वरूप नारी को हाड़–मांस के पुतले के अलावा कुछ भी नहीं समझा जाता है। इस तरह की व्यवस्था के कारण वह अपनी पहचान ही खो बैठती है। इसी आत्मसम्मान की भावना की कमी के कारण उसके सीखने की प्रक्रिया शिथिल हो जाती है।"

महिलाओं के सामने एक चुनौती है पुरुष मानसिकता, क्योंकि पुरुष वर्ग मन से नहीं चाहता कि महिलाएं घर से बाहर निकलकर कोई काम करें और उनकी भी अलग पहचान बनें, भले ही वे इसके लिए घर की जिम्मेदारियों का निर्वहन भी ठीक प्रकार से कर रही हों। उनके साथ पुरुष जाति किस हद तक अमानवीयता दिखाती है उसका उदाहरण यहां स्पष्ट है, "मध्य प्रदेश में मंदसौर जिले की ग्राम पंचायत अंबा की सरपंच मोडीबाई की उसके पति ने इसलिए हत्या कर डाली थी कि वह पंचायत की बैठक में जाती थी, गांव की समस्याएं सुलझाती थी और विकास योजनाओं का क्रियान्वयन करती थी। समाज में नारी आज भी दोयम दर्जे की स्थिति में है। आज भी बेटे को ही समाज में बाप की सम्पत्ति का उत्तराधिकारो समझा जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति इसी कारण इतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि पुरुषों की। प्रत्येक जाति, धर्म में आज भी अधिकांशतः औरतों को सम्पत्ति का अधिकार केवल संविधान में दर्ज है, वास्तव में ये अधिकार केवल पुरुषों को मूर्त रूप में मिला हुआ है। डॉ. अम्बेडकर ने कहा था कि "सामाजिक व्यवस्था संस्कृति के द्वारा समाज के सदस्यों की भावना को नियमित करती है और संस्कृति की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि उनको हटाना व्यवस्था के आधार पर परिवर्तन के बिना संभव नहीं है। जाति व वर्गों में विभाजित समाज में निम्न जातियों की स्थिति तो और भी दयनीय है। ऊंची जातियों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति फिर भी ठीक है, लेकिन गरीब परिवारों की महिलाओं के

बारे में तो श्गरीब की जोरू सबकी भाभीश वाली कहावत चरितार्थ होती है, क्योंकि उनका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है।

प्रस्तत अध्याय में महिलाओं की समाज में वर्तमान स्थिति का विश्लेषण व उसमें परिवर्तन के समाधानों पर प्रकाश डाला जाएगा। परंतु वर्तमान को जानने के लिए भूतकाल में अवश्य जाना पड़ता है। इसलिए वैदिक काल से लेकर अब तक का संक्षिप्त वर्णन करना भी इस अध्याय का मुख्य कार्य है।

**उद्देश्य**

1ण् प्रस्तुत अध्याय में ग्राम पंचायतों के संगठन कार्यविधि एवं नवीन पंचायत राज व्यवस्था ।
2ण् महिलाओं व पिछड़े वर्गो के सदस्यों को भी राजनीति में आने का मौका।

**वैदिक काल –**

भारत में नारी को वैदिक कालीन समाज में श्रेष्ठ माना गया है। इस काल में स्त्री और पुरुष में समानता थी अर्थात् लड़कियों के सारे संस्कार लड़कों की भांति ही होते थे जैसे उपनयन संस्कार, अन्न प्राशन संस्कार एवं ब्रह्मचर्य आश्रम में लड़कों के समान ही प्रवेश कराया जाता था। लड़किया भी लड़कों के समान ही शिक्षा प्राप्त करती थी। उस समय सहशिक्षा का प्रचलन था। इस युग में ही अनेक विदुषी महिलाएं हुई हैं।

"घोषा, अपाला, विश्वम्भरा आदि विदुषी महिलाओं ने वैदिक ऋचाओं एवं भजनों की रचना की थी। गार्गी व मैत्रेयी ऋषि महिलाएं थी। इस काल में बाल–विवाह प्रचलित नहीं था। विधवा अपनी इच्छानुसार पुनर्विवाह कर सकती थी। पत्नी के रूप में स्त्री की स्थिति काफी उन्नत थी।श

**उत्तर वैदिक काल –**

ईसा के 600 वर्ष पूर्व से ईसा के 300 वर्ष बाद तक का काल उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसी युग में महाभारत की रचना हुई थी, उसमें भीष्म पितामह ने कहा है कि स्त्री को सदैव पूज्य मानकर उससे स्नेह का व्यवहार किया जाना आवश्यक है। इस काल में महिलाओं को वेद, ग्रन्थों को पढ़ने की आज्ञा थी, यज्ञ में पत्नी को साथ लेकर ही सम्मिलित हुआ जाता था। इसी काल में बौद्ध और जैन धर्म का बहुत प्रभाव हुआ जिसमें स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। इन धर्मों का जैसे–जैसे पतन होने लगा, स्त्रियों की दशा भी खराब होने लगी। "मनु स्मृति में सर्वप्रथम स्त्रियों की स्वतंत्रता पर प्रतिबध लगाया गया। उन्हें वेदों को पढ़ने और यज्ञ करने से रोक दिया गया। साथ ही उन्हें धार्मिक व सामाजिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। विधवा विवाह पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। पति की आज्ञा का पालन करना और पारिवारिक दायित्वों को निभाना ही उनका एक मात्र कार्य रह गया। अब इनके लिए उपनयन संस्कार की व्यवस्था भी समाप्त कर दी गयी। मनु ने स्वयं भी कहा है कि षस्त्रियां कभी भी स्वतन्त्र रहने के योग्य नहीं हैं। बाल्यावस्था में उन्हें पिता, युवावस्था में पति और वृद्धावस्था में पुत्रों के संरक्षण में रहना चाहिए। इस काल के अन्तिम वर्षों में तो स्त्री को वस्तु के रूप में

समझा जाने लगा और उसकी स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिये गये। पति को परमेश्वर के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और सती होना आदर्श माना गया।

**मध्यकाल –**

मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति निम्न से निम्नतर होती चली गई, इस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों के कारण, धर्म प्रचार, ब्राह्मणवाद, इस्लाम धर्म की कट्टरवादिता ने भारत में औरतों की स्थिति को और अधिक सोचनीय बना दिया। इस कारण महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए। ब्राह्मण जाति ने हिन्दुओं के विवाह सबंधी नियमों को और अधिक कठोर बना दिया। पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया तथा पुनर्विवाह पर भी रोक लगा दी गई। हिन्दू लड़की को मुसलमानों से बचाने के लिए उनकी विवाह की आयु कम कर दी गई। ष्इस प्रकार के रूढ़िवादी संस्कार भारतीय समाज की विरासत में परिवर्तित हो गए। इन सभी परिस्थतियो के कारण महिलाओं का जीवन दुर्बलताओं और पुरुष पर निर्भर हो गया। एक ओर, जहां महिलाओं की स्वतंत्रता को छीन लिया गया था तो दूसरी ओर मध्यकाल में भक्ति आन्दोलन से कई महिला संत उभरकर सामने आई। इनमें मीराबाई, जनाबाई, मुक्ताबाई प्रमुख थीं। इसके अन्तर्गत राम, कृष्ण, शिव व शक्ति (दुर्गा) की पूजा–प्रार्थना बहुत लोकप्रिय हो गई। इस युग में सती प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया था, क्योंकि इस युग में विधवा पुनर्विवाह की परम्परा को समाप्त कर दिया गया था। इस युग में महिलाएं पुरुषों के अधीन होकर रह गईं।

राष्ट्रीय आन्दोलन तक आते–आते समाज में महिलायें अपने विषय में स्वयं सोचने पर विवश हो गई। उन्होंने घर से बाहर निकलकर राष्ट्रीय आन्दोलन में भी बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया, सती प्रथा के स्थान पर जौहर प्रथा का स्वागत करना उन्हें उचित लगने लगा, अब वे मुस्लिमों के भय से जल्दी विवाह का विरोध करने लगी। वैसे तो हिन्दू समाज में औरत प्राचीन काल से ही पूजनीय रही थी परंतु मध्यकाल में मुसलमानों की गलत नीयत और सोच के कारण उनकी स्थिति ज्यादा खराब हो गई थी। सुप्रसिद्ध इतिहासकार आर. सी. दत्ता प्राचीन भारतीय सभ्यता और महिलाओं के बारे में लिखते है "महिलाओं को पूरी तरह अलग–अलग रखना और उन पर पाबंदिया लगाना हिंदू परम्परा नहीं थी। मुसलमानों के आने तक ये बाते बिल्कुल अजनबी थीं....। महिलाओं को ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हिंदूओं के अलावा और किसी प्राचीन राष्ट्र में नहीं दो गई थी।

**ब्रिटिश शासन काल –**

ब्रिटिश शासन में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए भरपूर प्रयास किए गए उस काल में अनेक कानून बनाकर उनकी स्थिति में बदलाव लाने का भरपूर प्रयत्न किया गया। जैसे ष1829 में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम, 1874 विवाहिता संपत्ति अधिनियम, 1929 बाल विवाह अवरोधक अधिनियम, पर्दा प्रथा उन्मूलन और महिलाओं में शिक्षा का प्रसार.... ....। ईसाई मिशनरियों ने इस दिशा में सबसे पहला प्रयास सन् 1824 ई. में मद्रास में लड़कियों के लिए स्कूल खोलकर किया इसके बाद "1849 में विद्यार्थियों की एक लिटरेरी एण्ड साइंटिफिक सोसायटी, 1849 में अहमदाबाद में और गुजरात वर्नाकुलर सोसायटी,

1857 में कलकत्ता में विश्वविद्यालय में लड़कियों के प्रवेश के बाद दो लड़कियों ने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। 1882 में शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन में स्त्री शिक्षा पर विचार किया गया। इसके साथ ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय राष्ट्रीय सोशल कान्फ्रेंस, दोनों संगठनों ने स्त्री शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया। बंबई व पूना में दक्षिण एजुकेशन सोसाइटी में, इसके अलावा पंडिता रामबाई, रामाबाई रानाडे, डी.आर. कर्वे इत्यादि ने इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाए।

इन सब शिक्षा संस्थाओं, समाज–सुधारकों के अथक प्रयासों का परिणाम है कि समकालीन समाज में महिलायें प्रगति के पथ पर अग्रसर हैं। तकनीकी और प्रौद्योगिक विकास के हर क्षेत्र में, चाहे वह कृषि हो, सामाजिक कार्य, वित्तीय, बीमा, व्यापार, कारखाने, शिक्षा का क्षेत्र हो या अधिक उद्यमी महिलाओं का क्षेत्र, सभी जगह उन्होंने अपनी क्षमता दिखाई है। श्महिला उद्यमिताश आर्थिक रूप से महिलाओं को सशक्त करने का माध्यम है जैसे बिहार महिला, महिला उद्योग, लिज्जत पापड़ उद्योग, टाई स्त्री शक्ति, स्वरोजगार महिला एसोसिएशन, महिला उद्यमियों की संवर्धन एसोसिएशन, महिला उद्यमी के विपणन संगठन, आंध्र प्रदेश महिला उद्यमियों की एसोसिएशन, कर्नाटक महिला उद्यमियों की एसोसिएशन आदि महिलाओं के ऐसे संगठन है जो स्वरोजगार को अपनाकर ही आर्थिक रूप से सशक्त बनी हैं। प्रस्तुत अध्याय का उद्दे"य पंचायती राज में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आंकलन करना है तो सर्वप्रथम आदि से आधुनिककाल तक का सफर या महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थितियों पर प्रकाश डालना आवश्यक था, परंतु इस अध्याय का मूल उद्देश्य उत्तराखण्ड में नवीन पंचायती राज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अवलोकन करना ळें

## नवीन पंचायती राज में महिलाओं की सामाजिक स्थिति

किसी क्षेत्र के निवासियों के कार्यकलापों पर वहां के भौगोलिक पर्यावरण तथा सामाजिक स्वरूप का प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। "उतराखण्ड के निवासी कठोर एवं परिश्रमी हैं, क्योंकि इन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी प्रकृति के साथ निरन्तर संघर्ष करना पड़ता है। यहां पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में परिश्रम एवं संघर्ष करने की शक्ति अधिक है। युवा पुरुषों का अधिकांश भाग मैदानी क्षेत्रों में विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत है। परिणामस्वरूप यहां की सारी अर्थव्यवस्था महिलाओं पर केंद्रित है। राज्य के मैदानी भागों की तुलना में पर्वतीय क्षेत्रों की महिलाएं परिश्रम करके भी मैदानी क्षेत्रों की महिलाओं से कम स्वतंत्र हैं। वे सारा दिन मेहनत करने के बावजूद शोषित होती हैं। पति की मार खाती है तथा कई कुरीतियों एवं कुप्रथाओं का भी शिकार होती है।

ष्उसका मुख्य कारण यहाँ की सामाजिक परम्पराएं, आर्थिक पिछड़ापन, शिक्षा का अभाव तथा स्त्रियों के शोषण की एक लंबी ऐतिहासिक प्रवृत्ति ह। वह भोजन बनाती है, घास काटती है, ईंधन इकट्ठा करती है, पीने का जल लाती है तथा खेतों में हल चलाने के अलावा समस्त कार्य करती हैं। सदियों की परम्परा ने पर्वतीय नारी को अत्यधिक आत्म–त्यागी, निःस्वार्थ सेविका एवं कर्तव्य परायण बना दिया था। वह कष्ट सहन करने में ही गर्व एवं सुख का अनुभव करती रही। उसका जीवन इतना कठिन व करूण रहा है कि उसकी व्यथा का अनुमान लगाना ही कठिन है। कुछ ही दशक पूर्व तक नारी स्वयं बाल विवाह के लिए पिता को तथा बहु विवाह एवं विवाह–विच्छेद के लिए पति को मौन स्वीकृति देती रही, किंतु

अपनी नैतिक दृढ़ता, संस्कारगत रूढ़िवादिता, विवाह सूत्र की अखंड मर्यादा और सामाजिक तिरस्कार के भय से बाल विधवाएं तक अपने संपूर्ण जीवन के सौख्य को अपने स्वर्गीय पति के नाम पर बलिदान करती रही हैं। 15 अल्मोड़ा के अध्यापक और समाजसेवी नीरज पंत बताते हैं – ष्मैं एक सर्वे के सिलसिले में एक गांव में गया मुझे ग्राम प्रधान के हस्ताक्षरों की आवश्यकता पड़ी। एक आदमी से पूछा कि महिला प्रधान कहाँ है, तो उसने कहा मैं ही हूँ।श जब मैंने कहा श्तुम तो पुरुष हो, तो वह बोला मेरे पास मुहर है और दस्तखत भी मैं ही कर दूंगा। वह जेब में महर लेकर चलता था।

पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देकर उन्हें नेतृत्व की कमान तो सौंपी गयी किन्तु यह पर्याप्त नहीं है। इस अध्याय में उत्तराखण्ड के जनपदों की पंचायत संस्थाओं में उपस्थित महिला सदस्यों से पंचायत संस्थाओं की सामान्य जानकारी, महिलाओं की कार्य पद्धति, भूमिका एवं समस्याएं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि आदि उपशीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया गया है। इन प्रश्नों में आयु, वैवाहिक जीवन, सामाजिक, आर्थिक स्थिति तथा पंचायतों के विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों से सम्बन्धित प्रश्नों पर साक्षात्कार लिया गया।

वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति –

वर्तमान समय में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की सामाजिक स्थिति को निम्नलिखित सारणियों के माध्यम से स्पष्ट किया गया हैं –

**सारणी संख्या – 1.1 महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण होने के सन्दर्भ में उत्तरदाताओं के मत**

| क्र0सं0 | | हॉ | नहीं | योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | आवृत्ति | 388 | 112 | 500 |
| 2 | प्रति"ात | 77.60 | 22.40 | 100 |

77.60 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों का मानना है कि महिलाओं के लिए प्रत्येक क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। महिलाओं को सषक्ति बनाने में यह बहुत बड़ा कदम है। परन्तु 22.40 प्रतिषत का कहना है कि ऐसा नहीं है, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। यह धारणा गलत है कि केवल आरक्षण की वजह से ही वह समाज में आगे बढ़ सकती है। वह सामान्य सीटों से भी चुनाव जीत रही है।

## निष्कर्ष

वर्तमान समय में भारत में शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र बचा है, जहां महिलाओं ने अपना परचम न लहराया हो। घर संभालने से लेकर सेना, डॉक्टर इंजीनियर, राजनीति में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, रक्षामंत्री, विदेशमंत्री जैसे पदों के अलावा बैंकों में उच्च पदों, प्रशासनिक सेवाओ आदि सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपना लोहा मनवा रही है। राजनीति की बात करें, तो सबसे ज्यादा महिलाएं इसी क्षेत्र में अग्रसर होकर अपना व अपने देश का विकास करने में लगी है। श्रीमती निर्मला सीतारमण, सुषमा स्वराज, वसुन्धरा राजे सिंधिया, स्मृति ईरानी, सुमित्रा महाजन, उमा भारती, वर्तमान में कद्दावर, निर्भीक एवं निडर महिलाओं के रूप में देश की सेवा करने में लगी है। परन्तु यहां तक पहुंचने में इन्हें पंचायती राज से ही सीख लेनी पड़ती है, अर्थात् सीधे रक्षामंत्री या विदेशमंत्री का पद नहीं मिल जाता। इसके लिए सर्वप्रथम गांव, कस्बा, जिला स्तर पर राजनीति में सक्रिय होना पड़ता है। हमारे गांव विकसित होंगे, तभी क्षेत्र का, जिले का विकास संभव होगा और जब इन तीनों स्तरों पर सकारात्मक उन्नति होती है, तब उस देश का समृद्ध होना अनिवार्य है। उत्तराखण्ड में इसी तथ्य को सत्य करने का कार्य महिला पंचायत प्रमुख या सदस्य, प्रतिनिधि कर रही है। विषम परिस्थितियों में भी पहाड़ की महिलाएं घर–परिवार से हटकर अन्य क्षेत्रों प्रमुखतः राजनीति में अपनी भूमिका निभा रही हैं। इसमें सरकार के प्रयत्नों, प्रशिक्षणों की भी अहम भूमिका है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


1.अल्तेकर, ए0एस0 रू प्राचीन भारतीय शासन पद्धति।

2.अनिता रू 'पंचायती राज व्यवस्था एवं महिलाओं में सहभागिताश, आशा प्रकाशन, कानपुर, 2014.

3.अवस्थी, ए0पी0 रू भारतीय राज व्यवस्था, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा । अग्रवाल, चन्द्रमोहन रू भारतीय नारी विविध आयाम, अल्मोड़ा बुक डिपो, 1994. ––––– ओमप्रकाश रू श्प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहासश, कल्पना प्रकाशन ।

4.कुमार, आलोक एवं त्रिपाठी, केसरी नंदन, रू उत्तराखण्ड समग्र अध्ययन, नागरी प्रेस, इलाहाबाद।

5.कौशिक, आशा रू नारी सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, प्वाइंटर पब्लिशर्स, जयपुर, 2007.

6.गुप्ता, एम0एल0 एवं शर्मा, डी0डी0 रू सामाजिक अनुसंधान पद्धतियां, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।

7.जोशी, वीणा पाणी रू उत्तराखण्ड की सामाजिक हलचलों में महिलाओं की भूमिका (सम्पादक– सुरेश नौटियाल) धाद ग्रंथश अभिकथन पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1994.

8.झा एवं श्रीमाली रू प्राचीन भारत का इतिहास, दिल्ली, 1981.

9.डबराल का उत्तराखण्ड इतिहास, भाग–2.

10. तिवारी, वल्लभ दास रू हिन्दी काव्य में नारी, जवाहर पुस्तकालय, मथुरा।

11. तनिका सरकार व उर्वशी बुरालिया, साधना आर्य, निवेदिता मेनन, जिनी लोक नीता रू नारीवादी राजनीति संघर्ष एवं मुद्दे, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, 2011.

12. तिवारी, रूपसी और सिंह, बी०पी० रू श्कृषक महिला सशक्तिकरण और प्रसार तंत्रश, निबन्ध, कुरुक्षेत्र, मार्च 2005.